न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–डॉ एस.पी.सिंह (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 206/2017

बउनवान

महेन्द्र उम्र 25 वर्ष पुत्र श्री केदार जाति–कहार निवासी–भैरूपुरा तहसील–मॉगरोल, जिला–बारां (राज0) **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार,सीसवाली **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री आलोक गोयल, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक 02.08.2018

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली के आदेश दिनांक 07.03.2017 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–रामपुरिया, तहसील–मॉगरोल की आराजी खसरा नम्बर 56 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 75/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का सहीं अवलोकन नहीं कर निर्णय फरमाया गया है। द्वितीय अतिचार बाबत कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में ना तो सुनवाई जवाबदेहीं का अवसर मिला ना हीं साक्ष्य पेश करने का कोई अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के प्रतिपादित सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं है। केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर सजायाब फरमाया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.03.2017 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर दिये बिना एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एंव पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं घोषित किया जा सकता। दिवादित आराजी से अपीलांट ने कब्जा छोड रखा है। वर्तमान में उक्त भूमि पड़त सरकार है। अपीलांट भविष्य में उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करने हेतु बचनबद्ध है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिकमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 32/2016 निर्णय दिनांक 3.3.2016 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिकमी पाये जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है तथा भविष्य में कभी भी अतिचार नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली द्वारा निर्णय दिनांक 7.3.2017 में पारित जप्ति, बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 37/17 में पारित निर्णय दिनांक 07.03.2017 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें व अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा नायब तहसीलदार सीसवाली कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावें तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 07.03.2017 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, [illegible] न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07[illegible] यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ०एस.पी.सिंह)
जिला कलेक्टर बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official